रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 1992/भाद्र 6, 1914
No. 163] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 1992/BHADRA 6, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली 28 अगस्त, 1992

संकल्प

सं. ए.-59011/1/91 पी. II.—ग्रामीण विकास मंत्रालय में हाल ही में बंजर भूमि विकास विभाग बनाए जाने और राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को इस विभाग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप पर्यावरण और वन मंत्रालय में राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2. राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड का गठन भूमिका और कार्य नीचे पैराओं में दिए गए हैं:—

गठन

पदेन सदस्य

(1) केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री——	अध्यक्ष
(2) अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा	उपाध्यक्ष
(3) सदस्य, योजना आयोग पर्यावरण प्रभारी	सदस्य
निम्नलिखित विभागों के सचिव, भारत सरकार	
(4) ग्रामीण विकास	सदस्य
(5) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	सदस्य
(6) व्यय	सदस्य (वित्त)
(7) विज्ञान और प्रौद्योगिकी	सदस्य
(8) कृषि और सहकारिता	सदस्य
(9) पशु पालन और दुग्ध उत्पादन	सदस्य
(10) बंजर भूमि विकास	सदस्य
(11) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड	सदस्य
(12) वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रालय	सदस्य
(13) अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	सदस्य

नामित सदस्य

(14-संसद सदस्य (लोक सभा और
15) राज्य सभा से एक-एक) सदस्य

(16) वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास

(22) कार्यकलापों से जुड़ी स्वैच्छिक एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं आदिवासियों आदि के प्रतिनिधि (सात से अधिक नहीं) सदस्य

(23-27) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (पांच से अधिक नहीं) जो राज्य सरकार के सचिव स्तर के से नीचे के नहीं होंगे सदस्य

सदस्य सचिव

(28) सचिव (पर्यावरण और वन) सदस्य सचिव

भूमिका और कार्य

राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय सुधार तथा पारिस्थितिकीय विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होगा । अवक्रमित वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों व अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास की भूमि और पश्चिमी हिमालय, अरावली पहाड़ियों, पश्चिमी घाटों आदि जैसे पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों के पुनरुत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास के लिए योजनाएं तैयार करने में बोर्ड निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा .

(क) योजनाबद्ध आयोजना तथा कार्यान्वयन के जरिए लागत प्रभावी तरीके से अवक्रमित वन क्षेत्रों और उनके आस-पास के भूमि के पारिस्थितिकीय सुधार के लिए कार्यतंत्र तैयार करना,

(ख) पारिस्थितिकी सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों की ईंधन लकड़ी चारे तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पुनरुत्पादन अथवा समुचित उपायों से देश को वनाच्छादित करना ।

(ग) ईंधन लकड़ी, चारे, इमारती लकड़ी और वनोपज की मांग को पूरा करने के लिए अवक्रमित वनों और उनके आस-पास की भूमि पर ईंधन लकड़ी, चारे, इमारती लकड़ी और वनोपज के वृक्ष उगाना ।

(घ) अवक्रमित वन क्षेत्रों और उनके आस-पास की भूमि के पुनरुत्पादन और विकास हेतु नई और उचित प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के लिए अनुसंधान प्रायोजित करना और अनुसंधान नतीजों का विस्तार करना,

(ङ) स्वैच्छिक एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्यों की मदद से वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्राम जागरूकता पैदा करना जन-आंदोलन तैयार करना तथा अवक्रमित वन क्षेत्रों तथा उनके आस-पास की भूमि के सहभागी और सतत् प्रबंध को बढ़ावा देना,

(च) वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय सुधार तथा पारिस्थितिकीय विकास की कार्य योजनाओं का समन्वय और अनुवीक्षण करना, और

(छ) देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी सुधार तथा पारिस्थितिकीय विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय करना ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प को एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय ।

विनय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 28th August, 1992

RESOLUTION

No. A-59011/1/91/P.II.—Consequent upon the formation of the new Department of Wastelands Development in the Ministry of Rural Development and the transfer of the National Wastelands Development Board (NWDB) to that Department, it has been decided to set up the National Afforestation and Eco-Development Board (NAEB) in the Ministry of Environment and Forests.

2. The composition, role and functions of NAEB are given in the following paragraphs :

COMPOSITION :

Ex-officio Members.

(1) Union Minister for Environment and Forests. —Chairman.

(2) To be nominated by the Chairman. —Vice Chairman.

(3) Member, Planning Commission Incharge of Environment. —Member.

Secretaries to the Government of India in the Departments of :

(4) Rural Development —Member.

(5) Agricultural Research & Education —Member.

(6) Expenditure —Member (Finance).

(7) Science & Techonogy —Member.

(8) Agriculture & Cooperation —Member.

(9) Animal Husbandry & Dairying —Member.

(10) Wastelands Development ..Member.

(11) Member Secretray, National Land Use and Conservation Board —Member.

(12) Inspector General of Forests, MOEF —Member.

(13) Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development —Member.

Nominated Members :

(14—15) Members of Parliament (one each from the Lok Sabha and the Rajya Sabha) —Member.

(16—22) Representatives (not exceeding seven) of Voluntary Agencies, Cooperative Institutions, Tribals, etc. connected with afforestation and eco-development activities. —Member

(23—27) Representatives of State Governments (not exceeding five) not below the level of Secretary of State Government. —Members.

Member Secretary :

(28) Secretary (Environment & Forests) Member-Secretary.

ROLE AND FUNCTIONS :

The National Afforestation and Eco-Development Board will be responsible for promoting afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development activities in the country. Special attention will be given to the regeneration of degraded forest areas and lands adjoining forest areas, national parks, sanctuaries and other protected areas as well as the ecologically fragile areas like the Western Himalayas, Aravallis, Western Ghats, etc. In drawing up the plans for afforestation and eco-development, the Board will ensure the following :—

(a) Evolve mechanisms for ecological restoration of degraded forest areas and adjoining lands through systematic planning and implementation, in a cost effective manner;

(b) Restore through natural regeneration or appropriate intervention the forest cover in the country for ecological security and to meet the fuelwood, fodder and other needs of the rural communities;

(c) Restore fuelwood, fodder, timber and other forest produce on the degraded forest and adjoining lands in order to meet the demands for these items;

(d) Sponsor research and extension of research findings to disseminate new and proper technologies for the regeneration and development of degraded forest areas and adjoining lands;

(e) Create general awareness and help foster people's movement for promoting afforestation and eco-development with the assistance of voluntary agencies, non-government organisations, Panchayati Raj institutions and others and promote participatory and sustainable management of degraded forest areas and adjoining lands;

(f) Coordinate and monitor the Action Plans for afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development; and

(g) Undertake all other measures necessary for promoting afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development activities in the country.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VINAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992